

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर आरोपित अधिशोधित शास्ति (दण्ड) का विवरण।  
जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

क्र० सं०	विभाग का नाम	जनसूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड में निहित धनराशि रुपये	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गई धनराशिकी अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिंचाई विभाग	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियन्ता (सोन)	वाद संख्या- एस 8 / 684 / सी / दिनांक 28.06.10	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पत्रांक-1587/दिनांक 12-10-12 एवं पत्रांक: 1120/ / प्र0सु0प्र0/दिनांक 7.6.13 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन)को पत्र लिखा गया है एवं श्री अजित कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक:सी-15/एकेएसआरई/दिनांक 15.5.2013 एवं पत्रांक नि-1564/सोन/दिनांक 13.6.13 के माध्यम से उक्त अधिशोधित अर्थदण्ड माफ किये जाने हेतु मा0 राज्य सूचना आयोग से अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक-1318/प्र सु प्र /दिनांक 01.07.2013 एवं पत्रांक:1564/प्र सु प्र / शास्ति/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 285/प्र सु प्र /दिनांक 5.3.2014, पत्रांक-1350/प्र सु प्र /दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक-237/प्र सु प्र /दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु पुनः पत्र लिखा गया है।
2	तदैव	अभिषारी अभियन्ता डेनर स्वयं गोरखपुर	वाद संख्या एस 11 2824 / सी / 09	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पत्रांक 943 /दिनांक 31.5.12 एवं पत्रांक 1594 /दिनांक 10-12-12 एवं पत्रांक 1136 / प्र सु प्र /दिनांक 10.8.13 एवं पत्रांक 1315 / प्र सु प्र /दिनांक 04.07.2013 एवं पत्रांक 1594 / प्र सु प्र /दिनांक 13.06.13

3	तदैव	अधिषासी अभियन्ता फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फत्तेहपुर	वाद संख्या- एस7-2705 दिनांक 10.06.11	25000.00		
4	तदैव	अधिषासी अभियन्ता फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फत्तेहपुर	वाद संख्या- एस 7-653/ /सी/09 दिनांक 03.10.12	25000.00		
5	तदैव	अधिषासी अभियन्ता सिचाई खण्ड 49 परागीपूर सुल्तानपुर	वाद संख्या एस 7 719 /सी/10 दिनांक 19.04.12	25000.00		

पत्रांक 241/प्रसुप्र/दिनांक 12.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

इस कार्यालय के पत्रांक-593/प्रसुप्र/दि० 28.2.12, पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.10.12, पत्रांक 352/ दि० 15.2.13, पत्रांक 440/ प्रसुप्र/दिनांक 27.2.13, पत्रांक: 709 / प्रसुप्र/दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/प्रसुप्र/दिनांक 10.6.13, पत्रांक 1319/प्रसुप्र/दिनांक 01.07.2013, पत्रांक: 1565/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 1784/ प्रसुप्र/ दिनांक 18 सितम्बर, 2013, पत्रांक 308/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1352/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक: 235/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

इस कार्यालय के पत्रांक-593/प्रसुप्र/दि० 28.2.12, पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.10.12, पत्रांक 352/दि० 15.2.13, पत्रांक 440/ प्रसुप्र/दिनांक 27.2.13 एवं पत्रांक: 709 / प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/प्रसुप्र/दिनांक 10.6.13, पत्रांक 1319/प्रसुप्र/दिनांक 01.07.2013, पत्रांक: 1565/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 308/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1352/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक: 235/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

अधिषासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 87/षा०स०ख-49सु०/दिनांक 11.1.13 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त दण्ड की माफी हेतु दिनांक 11.1.12 के माध्यम से मा० प्रायोग में अपील की गयी है एवं इस कार्यालय के पत्रांक 820/प्रसुप्र/दिनांक 22.4.13, पत्रांक 1127/ प्रसुप्र/पारित दिनांक 7.6.13, पत्रांक 1331/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013, पत्रांक 1570/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक

6	तदैव	श्री बी०पी० सिंह अधिषासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय कुषीनगर	वाद संख्या- एस 4-687 / सी / 11 दिनांक 02.02.12	25000.00	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबादके आदेश दिनांक 29.4. 13 द्वारा दण्ड स्थगित।	1785/प्र०सु०/दिनांक 18 सितम्बर 2013 305/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1356/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 233/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की अद्यतन स्थिति हेतु निर्देशित किया गया है। अधिषासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय कुषीनगर कोइस कार्यालय के पत्रांक 1400/प्रसुप्र/दिनांक 30.8.12 1511/प्रसुप्र/दिनांक 26.9.12, पत्रांक 819/प्रसुप्र/दिनांक 24.4.13, पत्रांक 1134/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक 1333/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से उक्त अधिरोपित दण्ड की वसूली हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है। मुख्य अभियन्ता, (गण्डक) सि०वि० गोरखपुर द्वारा अपने पत्रांक:3316/मु०अ०गो०/दिनांक 02.05.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त वसूली के विरुद्ध दिनांक 29.4.2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।
7	तदैव	श्री आर.पी गौतम अधिषासी अभियन्ता सिंचाई खंड हाथरस	वाद संख्या- एस 10 -2017/सी/11 दिनांक 01.12.11	25000.00	दण्ड वसूल	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल मथुरा द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं०-2547 /सिकांमं/दिनांक 20.3.13के माध्यम से अधिरोपित धनराशि की कटौति सम्बन्धित अधिषासी अभियन्ता के वेतन से कर ली गयी है एवं उक्त धनराशि को राजकोश में जमा कराकर रसीद की छायाप्रति षासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1123/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1337/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013, पत्रांक 1566/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013 एवं के माध्यम से निर्देशित किया गया है। अधिषासी अभियन्ता केन नहर प्रखण्ड बोदा को इस कार्यालय के पत्रांक 1121 /प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 एवं पत्रांक 1336/प्रसुप्र/दिनांक 04.07. 2013 पत्रांक 1569/प्रसुप्र/दिनांक 07.08. 2013 पत्रांक 1353/प्रसुप्र/दिनांक 20.10. 2013 पत्रांक 1353/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014 एवं पत्रांक 14 309/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014 एवं पत्रांक 238/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली / अद्यतन स्थिति हेतु
8	तदैव	श्री राजाराम अहिरवार अधिषासी अभियन्ता केन नहर प्रखण्ड बोदा	वाद संख्या एस 4 20/ सी / 11 दिनांक 17.05.12	25000.00		

		आ.आर० बी०सि० अधिकासी अभियन्ता सिंचाई खंड प्रथम, बलिया	वाद संख्या एस 4 489/ सी/11 दिनांक	25000.00	दण्ड वसूल  (रसीद अप्राप्त)
10	तदैव	अधिकासी अभियन्ता सिंचाई खंड प्रथम बलिया	वाद संख्या- एस 4- 1429/ सी/11 दिनांक 13.6.12	25000.00	
11	तदैव	अधिकासी अभियन्ता शरदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद ।	वाद सं.एस-7/ 362/सी/10	25000.00	वाद पुनर्स्थापित
12	तदैव	अधिकासी अभियन्ता लोनर खण्ड आगरा नगर आगरा	वाद सं.एस 6/ 1493/सी/10	25000.00	

निर्देशित किया गया है । अधिकासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 30/सिनिमम/दिनांक 31/2013 के माध्यम से दण्ड माफ़ी हेतु मा० रा० सूचना आयोग के समक्ष अपील की गयी है । अधिकासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर को इस कार्यालय के पत्रांक-177/प्रसुप्र/दिनांक 22.01.13ए पत्रांक:441/प्रसुप्र/दिनांक 27.02.13, पत्रांक 1119/ प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक 1330/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली की रसीद की प्रमाणित प्रति हेतु निर्देशित किया गया है । (दण्ड वसूल)

अधिकासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया को इस कार्यालय के पत्रांक: 23/प्रसुप्र/दिनांक 4.1.12 पत्रांक 1133/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक: 1329/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013, पत्रांक:1567/प्रसुप्र/ दिनांक 07.08.2013, 307/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014 एवं पत्रांक-1355/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 234/प्र.सु.प्र./दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु निर्देशित किया गया है ।

इस कार्यालय के पत्रांक:1571/प्रसुप्र/दि० 8.8.2013, पत्रांक 1782/प्र०सु०प्र०/दिनांक 18.9.2013 एवं पत्रांक-1351/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 240/प्र.सु.प्र./दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है अधिकासी अभियन्ता द्वारा अधिरोपित दण्ड माफ़ किये जाने हेतु मा० आयोग के समक्ष दिनांक 11.6.2013 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई 23.10.13 को होनी थी, अद्यतन स्थिति की सूचना अभी तक अप्राप्त है ।

इस कार्यालय के पत्रांक 1571/प्रसुप्र/दि० 8.8.2013, पत्रांक 1751/प्र०सु०प्र०/ दिनांक 13 सितम्बर 2013, पत्रांक 308/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014, पत्रांक 1354/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं के माध्यम से दण्ड वसूल/अद्यतन स्थिति हेतु निर्देशित किया गया है । अधिकासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 1029/दिनांक 24.3.15 के

13	तद्वैव	श्री मुन्ना सिंह प्रधीक्षण अभियन्ता (निलम्बित) सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (पश्चिम)	वाट स एम- 1 / 1688 / सी / 11	25000.00		
----	--------	--	---------------------------------	----------	--	--

माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि सूचना प्राप्ति द्वारा दिनांक 9/2015 वाद की सूचनाई की जायेगी। इस कार्यालय के पत्रांक 695/प्रसुप्र/2014 के माध्यम से दण्ड वसूल/अद्यत हेतु पत्र लिखा गया है।

  
13/12/17

अधीक्षण अभियन्ता एवं  
जन सूचना अधिकारी